धारा 136 : कतिपय परिस्थितियों के अधीन कथनों की सुसंगतता

इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाहियों के दौरान धारा 70 के अधीन जारी किसी समन के प्रत्युत्तर में हाजिर व्यक्ति द्वारा किया गया और हस्ताक्षरित कथन इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में तथ्य की सत्यता सिद्ध करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत होगा, जिसमें निम्नलिखित अंतर्विष्ट है–

(क) जब कोई व्यक्ति जिसने कथन किया था मृत है या वह नहीं मिल पा रहा है या साक्ष्य देने में अक्षम है या जिसकी हाजिरी विरोधी पक्ष द्वारा किसी तरीके से रोकी गई है या जिसको ऐसी देरी के बिना हाजिर नहीं किया जा सकता है, जिसे मामले की परिस्थितियों के अधीन न्यायालय अयुक्तियुक्त मानता है; या

(ख) जब किसी व्यक्ति की जिसने कथन किया है न्यायालय के समक्ष मामले में साक्षी के रूप में परीक्षा की जाती है और न्यायालय का मत है कि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कथन को न्यायहित में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए